

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6-7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)
बईजलास श्री पुनीत कुमार गेलड़ा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

1-5 मु. मंजू देवी, मु. मानकंवर, मु. मधु, मु. माया, मु. अंजू पुत्री भुरालाल दमामी निवासी
बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा

- वादीगण

बनाम

- 1- खुशबु पुत्री ओम प्रकाश दमामी निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
- 2- भंवरी देवी पत्नी ओम प्रकाश दमामी निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
- 3- सुशील पुत्र ओम प्रकाश दमामी निवासी बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा
- 4- तहसीलदार शाहपुरा तहसील शाहपुरा
- 5- मैनेजर आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि0 शाखा बच्छखेड़ा तहसील शाहपुरा

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र : वास्ते इन्द्राज दुरस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

मुकदमा नम्बर 23 सन् 2022 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु अदालत व हिजरी वकील वादी
मिनजानिब मुदई वX मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुकम
दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :-

वादीगण एवं प्रतिवादीगणों के मध्य राजीनामा होकर वादीगण द्वारा प्रकरण में
आगे कार्यवाही नहीं चाहने एवं अभिभाषक वादीगण द्वारा नोट प्रेस किये जाने से वाद
वादीगण खारिज किया जाता है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज
तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज तारीख 21 माह 12 सन् 2023 को जारी की
गई।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा